



भारत सरकार **GOVERNMENT OF INDIA**
वित्त मंत्रालय **MINISTRY OF FINANCE**
राजस्व विभाग **DEPARTMENT OF REVENUE**

सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमा शुल्क गृह, विल्लिंग्टन आईलैंड, कोच्चिन-682009
CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

Sevottam Compliant



An IS 15700 certified Custom House

Website: www.cochincustoms.gov.in

Control Room: 0484-2666422

E-mail: commr@cochincustoms.gov.in

Fax: 0484-2668468

Ph: 0484-2666861-64/774/776

F.No FSP/01/2017.Cus

Date: 22.12.2017

व्यापार सुविधा TRADE FACILITY No. 19/ 2017

विषय : परिपत्र सं. 26/2017-Cus दिनांक 01.07.2017, 36/2017 दिनांक 28.08,2017, 37/2017 दिनांक 20.09.2017, 41/2017 दिनांक 30-10-2017 और 44/2017 दिनांक 18-11-2017 के तहत सेल्फ-सीलिंग प्रक्रिया के अंतर्गत निर्यातकों द्वारा कंटेनरों की इलैक्ट्रॉनिक सीलिंग को कार्यान्वित किया जाना- संबंधित।

Sub: Implementing Electronic Sealing for Containers by exporters under self-sealing procedure by Circular 26/2017-Cus dated 01.07.2017, 36/2017 dated 28.08,2017. 37/2017 dated 20.09.2017, 41/2017 dated 30-10-2017 and 44/2017 dated 18-11-2017.-reg.

1. सभी निर्यातकों/आयातकों/स्टीमर एजेंटों/सीमाशुल्क ब्रोकरों/ व्यापार एवं उद्योग जगत तथा आम जनता का ध्यान उपर्युक्त विषय पर सीबीईसी परिपत्र सं. 51/2017 दिनांक 21.12.2017 की ओर आकर्षित किया जाता है।
Attention of all Exporters/ Importers/ Steamer Agents/ Customs Brokers/ Trade & Industry and the Public is invited to the CBEC Circular No. 51/2017-Cus dated 21.12.2017 on the above subject.
2. बोर्ड को फील्ड फॉर्मेशनों और अन्य पणधारियों से पैनलबद्ध वेंडरों के पास ई-सीलों के अपर्याप्त स्टोक को ध्यान में रखते हुए अनिवार्य ई-सीलिंग की आवश्यकता में छूट देने संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इसके मद्दे नज़र, बोर्ड ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं: -

The Board has received representations from field formations and other stakeholders for relaxing the requirement for mandatory e- sealing in view of insufficient stock of e-seals with the empaneled vendors. Taking this into consideration, Board has decided the following:

TRADE FACILITY No. 19/ 2017

- I. RF1D ई-सील प्राप्त करने वाले और अनुमोदित परिसरों में रीडरों की सुविधा वाले पोर्टों/आईसीडी के माध्यम से निर्यात के लिए कंटेनरों की स्टफिंग करने वाले सभी पात्र निर्यातक यह प्रक्रिया जारी रखने/नई ई-सीलिंग प्रक्रिया स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हैं। वस्तुतः इसका मतलब यह है कि 1 मार्च, 2018 तक यह प्रक्रिया स्वैच्छिक होगी।

All entitled Exporters who have acquired RF1D e-seals and are stuffing containers at approved premises for export through Ports/ ICDs where facilities for readers are available shall be free to continue/ adopt the new e-sealing procedure. Essentially, this implies that the procedure is voluntary till 1st March 2018.

- II. इसके अलावा 1 मार्च, 2018 से तत्कालीन प्रक्रियाओं के तहत सेल्फ-सीलिंग सुविधाओं की अनुमति प्राप्त करने वाले निर्यातकों और ए.ई.ओ. निर्यातकों या निम्नलिखित लोकेशनों के लिए अपने परिसरों से अधीक्षित स्टफिंग की सुविधा का लाभ उठाने वाले निर्यातकों के लिए यह प्रक्रिया अनिवार्य बन जाएगी:

Further with effect from 1st March, 2018 the procedure shall become mandatory in respect of the exporters who have been permitted self-sealing facilities under erstwhile procedures and AEO exporters or availing supervised stuffing at their premises for the following locations:

- 1) JNCH, Nhava Sheva (INNSA1)
- 2) Chennai Port (INMAA1)
- 3) Mundra Port (INMUN1)
- 4) Hazira Port (INHZA1)
- 5) Cochin Port (INCOK1)
- 6) kattupalli Port (INKAT1)
- 7) Kolkata Port (INCCU1)
- 8) ICD Tughlakabad (INTKD6)
- 9) Tuticorin Port (INTUT1)
- 10) Pipavav Port (INPAV1)
- 11) Vishakhapatnam Port (INVTZ1)
- 12) Krishnapatnam Port (INKRI1)
- 13) ICD Bangalore (INWFD6)
- 14) ICD Tirupur (INCHE6)
- 15) ICD Ludhiana (INLDH6)

TRADE FACILITY No. 19/ 2017

III. उपर्युक्त 15 लोकेशनों को छोड़ कर शेष सभी पोर्टों/आईसीडी के लिए ई-सीलिंग प्रक्रिया 1 अप्रैल, 2018 से अनिवार्य होगी।

E-sealing procedure for all Ports/ICDs other than above 15 locations will be mandatory with effect from 1st April 2018.

3. इस बात को दोहराया जाता है कि जिन निर्यातकों ने पहले से ई-सीलिंग प्रक्रिया अपनाई है, वे नई प्रक्रिया को जारी रख सकते हैं और जो निर्यातक ई-सीलिंग प्रक्रिया को स्वैच्छिक रूप से अपनाना चाहते हैं, वे ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर निर्यात सीमाशुल्क स्टेशन पर रीडर्स की व्यवस्था है, तो पहले से अधिकारी के अधीक्षण के तहत स्टफिंग की सुविधा का लाभ उठाने वाले निर्यातक उनके द्वारा कंटेनरों का निर्यात किए जाने वाले पोर्ट/आईसीडी पर ई-सीलिंग को अनिवार्य किए जाने तक इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

It is reiterated that the exporters who have already switched to e-sealing procedure may continue with the new procedure and those exporters who intend to voluntarily adopt e-sealing procedure are free to do so. If the readers are in place at the Customs station of export, Exporters already availing stuffing under officer supervision shall continue to enjoy the facility till the date e-sealing becomes mandatory at the port/ICD from where they are exporting containers.

4. इस संबंध में कोई कठिनाई हो, तो उसे अधोहस्ताक्षरी के ध्यान में लाया जाए।
Difficulties if any should be brought to the notice of the undersigned.

Sd/-

(सुमित कुमार **Sumit Kumar**)

सीमाशुल्क आयुक्त **Commissioner of Customs**

//अनुप्रमाणित **Attested**//

(वी. उषा **V Usha**)

अधीक्षक (एसएसपी सेल) **Supdt (SSP Cell)**

प्रतिलिपि/ Copy to:

1. **The Chief Commissioner, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **EDI Section for uploading on Website of Custom House, Cochin.**
3. **The Cochin Custom House Agent's Association.**
4. **The Cochin Steamer Agent's Association.**
5. **Notice Board.**